



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06082022-237978
CG-DL-W-06082022-237978

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, जुलाई 24—जुलाई 30, 2022, शनिवार/श्रावण 2—श्रावण 8, 1944
No. 27] NEW DELHI, JULY 24—JULY 30, 2022, SATURDAY/SRAVANA 2—SRAVANA 8, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल संसाधन मंत्रालय
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 100.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय जल आयोग, अननुसचिवीय, (समूह 'ग' पद) विभागीय कैटीन भर्ती नियम, 2002, केन्द्रीय जल आयोग, सचिवीय समूह 'ग' पद (विभागीय कैटीन) भर्ती नियम, 2003 और केन्द्रीय जल आयोग अननुसचिवीय समूह 'घ' पद (विभागीय कैटीन) भर्ती नियम, 2003 का अधिकांश करते हुए, उन बातों के सिवाय जहां ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय

जल आयोग में सहायक प्रबंधक-सह-स्टोर कीपर, सहायक हलवाई-सह-कुक, लिपिक और कैन्टीन अटेंडेंट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और आरम्भ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, (समूह 'ग') विभागीय कैन्टीन भर्ती नियम, 2022 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता – वह व्यक्ति –**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पद की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)
1 सहायक प्रबंधक-सह-भंडार रक्षक	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)

चयन पद है अथवा अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं (7)
अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)।	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी

	टिप्पण- आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	विषय में स्नातक के साथ बुक कीपिंग या स्टोर कीपिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा और (ख) अनुभव: किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडारण या लेखा में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में लिखित में कारण दर्ज करके अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: (i) वेतन-मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900-63200 रुपए) में आठ (8) वर्षों की नियमित वाले साथ लिपिक (ii) भण्डार रक्षक/रोकड़िया में दो वर्षों के अनुभव के साथ वेतन-मैट्रिक्स में स्तर 3 (21700-69100 रु.) में पांच वर्षों की नियमित सेवा वाले हलवाई-सह-कुक और मान्यता प्राप्त बोर्ड से वाणिज्य में 12वीं पास किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी

			कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो- (क) (i) मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 ₹.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; अथवा (iii) स्तंभ संख्या 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों और (ख) किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडारण या लेखा में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं
--	--	--	---

			होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके आधीन केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. सचिव – अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग 2. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य 3. अवर सचिव (स्थापना) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य	केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य 3. अवर सचिव (स्थापना), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग -सदस्य	

1	2	3	4
2. हलवाई-सह-रसोइया	03* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (21700-69100 रूपए)

5	6	7
अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष)	(क) केटरिंग में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के साथ 10वीं पास। (ख) सरकारी विभाग या उपक्रम में 2 वर्षों के

	तक शिथिलनीय)। टिप्पण - आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	अनुभव को वरीयता। (ग) उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए कुर्किंग के लिए व्यवसायिक कौशल परीक्षण लिया जाएगा। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	---

8	9	10	11
नहीं।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-2 (19,900-63,200 रु.) में कम से कम तीन (3) वर्षों की नियमित सेवा वाले सहायक हलवाई-सह-रसोइया टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो-

		(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों। (ख) निम्नलिखित योग्यताएं और अनुभव की रखते हों: (i) केटरिंग में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के साथ 10वीं पास (ii) अनुभव-सरकारी विभाग /उपक्रम में दो वर्षों के अनुभव को वरीयता टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
--	--	---

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य 3. अवर सचिव (स्थापना), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग -अध्यक्ष 2. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग -सदस्य 3. अवर सचिव (स्थापना), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग -सदस्य	
--	--

1	2	3	4
3. सहायक हलवाई-सह-रसोइया	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रूपए)

5	6	7
चयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पण - आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(क) केटरिंग में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के साथ 10वीं पास। (ख) अनुभव- सरकारी विभाग या उपक्रम में 2 वर्षों के अनुभव को वरीयता। (ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए साफ-सफाई के रखरखाव आदि सहित कुकिंग के लिए व्यवसायिक कौशल परीक्षण का आयोजन किया जाएगा। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

8	9	10	11
नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। प्रोन्नति पाने वालों के लिए शून्य।	प्रोन्नति द्वारा जिनके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-1(18,000-56,900 रु.) में तीन वर्षों की नियमित सेवा वाले कैंटीन सहायक साफ-सफाई के रखरखाव आदि सहित कुकिंग के संदर्भ में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।

		टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो- (i) पे-मैट्रिक्स में स्तर-I (18,000-56900 रु.) में कैटीन सहायक और हलवाई-सह-रसोइया के हेल्पर के रूप में तीन (3) वर्षों की नियमित सेवा के साथ एक (1) वर्ष का अनुभव हो। (ii) स्तंभ संख्या 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा
--	--	---

			आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
--	--	--	--

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य 3. अवर सचिव (स्थापना), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य 3. अवर सचिव (स्थापना), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4
4. लिपिक	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रु.)

5	6	7
अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पण - आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह	(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से वाणिज्य में 12वीं कक्षा या उसके समतुल्य। (ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रति मिनट 35 शब्द और 30 शब्द प्रति मिनट 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, औसतन प्रति शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन)।

	अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारण दर्ज करके अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	---

8	9	10	11
नहीं।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900 रु.) में कैदीन सहायक के रूप में तीन (3) वर्षों की नियमित सेवा। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए कैदीन परिचारकों के लिए संगठनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखा प्रथाओं पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण वांछनीय होगी। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है,

			जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
--	--	--	---

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य 3. अवर सचिव (स्थापना), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य 3. अवर सचिव (स्थापना), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4
5. कैटीन परिचारक	12*(2022)*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900 रुपए)

5	6	7
लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पण - आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या उसके समतुल्य

8	9	10	11
लागू नहीं होता।	2 वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

3. अवर सचिव (स्थापना), जल संसाधन, - सदस्य
नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

[फा. सं. A-12018/5/2021-स्था.-I]

अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 28th July, 2022

G.S.R. 100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water Commission, Non-Ministerial (Group 'C' Posts) Departmental Canteens Recruitment Rules, 2002, the Central Water Commission, Ministerial Group 'C' Posts (Departmental Canteens) Recruitment Rules, 2003 and the Central Water Commission Non-Ministerial Group 'D' Posts (Departmental Canteens), Recruitment Rules, 2003 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the posts of Assistant Manager-cum-Store keeper, Halwai-cum-cook, Assistant Halwai-cum-cook, Clerk and Canteen Attendant in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water Commission (Group 'C') Departmental Canteen Posts Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification	Level in the Pay Matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Assistant Manager-cum-Store Keeper	02*(2022) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted Non-Ministerial	Level- 4 in the pay matrix (Rs 25500-81100)

Whether selection or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(a) B.Com from a recognised University; or Graduate in any discipline from a recognised University with one year Diploma in bookkeeping or store keeping and (b) Experience: Three years in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection. The Competent Authority is of the opinion that sufficient numbers of candidates belonging to these communities possessing the requisite experiences are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
No	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	Promotion: (i) Clerks with eight (8) years regular service in Level 2 (Rs.19,900-63,200/-) in the pay matrix. (ii) Halwai-cum-Cook with five years regular service in Level 3 (Rs. 21,700-69,100/-) in the Pay Matrix with two years experience in handling Stores/Accounts and having passed 12th with Commerce from recognised Board. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers under the Central Government - (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years regular service in the Level-

			2 (Rs19,900-63,200/-) in the pay matrix; or (iii) possessing the educational qualification prescribed for direct recruitment under column 7. and (b) three years experience in a Government Department or Undertaking in handling Stores/Accounts. Note 1 : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation, Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - Secretary, Central Water Commission Chairman - Under Secretary, Central Water Commission - Member - Under Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation -Member. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - Secretary, Central Water Commission -Chairman - Under Secretary, Central Water Commission --Member - Under Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Halwai-cum-Cook	03* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C') Non-gazetted, Non-Ministerial.	Level – 3 in the pay matrix (Rs.21700- 69100)

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	a) 10th class Pass with Certificate or Diploma in Catering. b) Experience- 2 years in a Government Department or Undertaking preferred. c) A Trade Skill Test for Cooking shall be conducted to assess the suitability of the candidate. Note: The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
No	Two years	Promotion failing which by Deputation and failing both by Direct Recruitment.	Promotion : Assistant Halwai-cum-Cook with at least three(3) years regular service in Level-2 (Rs.19,900-63,200/-) in the Pay Matrix. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation : Officers of the Central Government – a) (i) holding analogous post on regular basis, or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with three (3) years regular service in Level-2 (Rs.19,900-63,200/-) in the Pay Matrix and b) possessing the following qualifications & experience: (i) 10th Class Pass with a Certificate or Diploma in Catering. (ii) Experience – Two years in a Government Department /Undertaking preferred. Note-1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on the closing date of

			receipt of applications. Note-2: The departmental official in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
--	--	--	---

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Secretary, Central Water Commission - Chairman 2. Under Secretary, Central Water Commission - Member 3. Under Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation -Member Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Secretary, Central Water Commission - Chairman 2. Under Secretary, Central Water Commission - Member 3. Under Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Assistant Halwai-cum-Cook	01* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C') Non-gazetted, Non-Ministerial.	Level – 2 in the pay matrix (Rs.19,900- 63,200/-)

(5)	(6)	(7)
selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	a) 10th class Pass with Certificate/Diploma in Catering. (b) Experience- One year in a Government Department/Undertaking preferred. (c) A Trade Skill Test for Cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted to assess the suitability of the candidate. Note: The qualification (s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
No	Two years for direct recruits. NIL for Promotees.	Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : Canteen Attendant in Level-1 (Rs.18,000-56,900/-) in the Pay Matrix with three years regular service. A Trade Test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to cooking

			including maintenance of hygiene etc. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government - (i) holding analogous post on regular basis, or (ii) Canteen Attendant in LEVEL -1 (Rs.18,000- 56900/-) in the PAY MATRIX and with at least three (3) years regular service having one (1) year experience as helper to Halwai-cum- Cook. (iii) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column 7. Note-1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three (3) years. The maximum age limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note-2: The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
--	--	--	---

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Secretary, Central Water Commission - Chairman 2. Under Secretary, Central Water Commission - Member 3. Under Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation -Member Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Secretary, Central Water Commission - Chairman 2. Under Secretary, Central Water Commission - Member 3. Under Secretary (Establishment),	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	-Member.
---	----------

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Clerk	02* (2022)* Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted, Non- Ministerial.	Level - 2 (Rs.19900- 63200)

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	a) 12th class or equivalent with Commerce from recognised board. (b) A typing speed of 35 w.p.m in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m and 30 w.p.m correspond to 10500 Key Depression Per Hour/9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 Key depressions for each word.) Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
No	Two years.	Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion: Canteen Attendant with three (3) years regular service in level – 1 (Rs.18,000-56,900/-) in the pay matrix. A two week training on Organizational Behavior, Communication Skill and Accounting Practices shall be desirable for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from Institute of Secretariat Training and Management or any other institute recognized by Government of India or State Government. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for

			promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--	--	---

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Secretary, Central Water Commission - Chairman 2. Under Secretary, Central Water Commission -Member 3. Under Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation -Member Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Secretary, Central Water Commission - Chairman 2. Under Secretary, Central Water Commission -Member 3. Under Secretary (Establishment), Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Canteen Attendant	12* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C') Non-gazetted, Non-Ministerial.	Level – 1 of pay matrix (Rs.18000- 56900)

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Matriculation or equivalent from recognised board

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	Direct Recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Secretary, Central Water Commission - Chairman 2. Under Secretary, Central Water Commission - Member 3. Under Secretary (Establishment), DoWR, RD&GR -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/5/2021-Estt-1]

ANIL KUMAR SHARMA, Under Secy.

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 101.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, संस्कृति मंत्रालय (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 2004, अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियमावली, 2015 और संस्कृति मंत्रालय, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, मल्टी टास्किंग स्टाफ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2015 के अधिक्रमण में, जहां तक इनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों से है, को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता में समूह 'ग' पदों हेतु भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों को संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 **पद-संख्या, वर्गीकरण तथा पे-मैट्रिक्स में लेवल** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा पे मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची से उपाबद्ध स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह या संविदा किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या संविदा किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद या गैर चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अवर श्रेणी लिपिक	4*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	लेवल-4 (25500-81100/- रुपये).	'गैर-चयन' यदि पदोन्नति भर्ती की पद्धतियों में से एक पद्धति है। 'लागू नहीं' यदि पदोन्नति भर्ती की पद्धतियों में से एक पद्धति नहीं है।

सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी
(6)	(7)	(8)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इसमें छूट दी जा सकती है।) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय की जाएगी (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जानी है, वहां आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री या समकक्ष।	आयु : जी, नहीं। शैक्षिक अर्हताएं : जी, हां।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। प्रोन्नतियों के लिए शून्य।	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित), दोनों के न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ग्रेड में लेवल-2 (19900-63200 रुपये) में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित अवर श्रेणी लिपिक में से जो स्तंभ (7) में यथा निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखते हों। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता

	सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उन से वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): (क) विश्वविद्यालयों, अनुसंधान या समकक्ष संस्थाओं सहित केन्द्र या राज्य सरकार या अर्द्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारी जो - नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या - लेवल-2 (19900-63200 रुपये) या समकक्ष में अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) स्तंभ (7) में यथा निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखते हों। टिप्पणी 1 : फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी शामिल है, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से पूर्व पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

		टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :		लागू नहीं होता।
(क) पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय - अध्यक्ष;		
(ख) पुस्तकालय विषय की देखरेख करने वाले अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य;		
(ग) लेखा-सह-प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, - सदस्य सचिव; और		
(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. आशुलिपिक ग्रेड- II.	1* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	लेवल 4 (25500-81100/- रुपये).	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इसमें छूट दी जा सकती है।) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित तारीख होगी।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष (ii) कौशल परीक्षा श्रुतलेखन के मानक : 10 मिनट 80 शब्द प्रति मिनट की दर से। लिप्यंतरण : 65 मिनट (अंग्रेजी) 75 मिनट (हिन्दी) (मैनुअल टाइपराइटर पर) या 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) (कम्प्यूटर पर)	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती। टिप्पण: किसी पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां स्तंभ (7) पर सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित अर्हताएं रखने वाले कर्मचारियों में से नियमित आधार पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएंगी।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे : (क) पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय - अध्यक्ष; (ख) पुस्तकालय विषय की देखरेख करने वाले अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; (ग) लेखा-सह-प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, सदस्य सचिव; और (घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. अवर श्रेणी लिपिक (टंकक सहित)	13*+1**=14 (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ** एलडीसी (हिन्दी) का एक पद	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	लेवल-2 (19900-63200/- रुपये)	गैर-चयन

(6)	(7)	(8)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इसमें छूट दी जा सकती है।) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष अर्हता। (ii) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति; या कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा या 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप होगी जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन होंगे। अवर श्रेणी लिपिक (हिन्दी) के लिए :- (i) एक विषय के रूप में हिंदी सहित 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।	आयु : जी, नहीं। शैक्षिक अर्हताएं : जी, हां। स्तंभ (10) में दर्शाए गए अनुसार।

द्वारा तय की जाएगी (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जानी है, वहां आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)।	(ii) मैनुअल टाइपराइटर पर हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट; या कम्प्यूटर पर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन की दर से 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा)।	
--	---	--

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष।	(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 85 प्रतिशत सीधी भर्ती। (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर, 18000-56900/- रुपये के लेवल-1 में समूह 'ग' के उन कर्मचारियों में से भरी जाएंगी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो या समकक्ष अर्हता रखते हों तथा जिन्होंने ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 50 वर्ष होगी)। टिप्पण : - यदि खंड (ii) के तहत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो कर्मचारियों की इस अधिक संख्या को बाद के वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पहले आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके। (iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां समूह 'ग' के उन कर्मचारियों में से वरीयता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी जिन्होंने लेवल- 1 (18000 – 56900/- रुपये) में पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।	स्तंभ (10) में यथावर्णित।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति या स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे : (क) पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता - अध्यक्ष; (ख) पुस्तकालय विषय की देखरेख करने वाले अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय -सदस्य; (ग) लेखा-सह-प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, सदस्य सचिव; और (घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. मल्टी-टास्किंग स्टाफ	13*(2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल-1 (18000-56900/- रुपये)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)
18 से 25 वर्ष के बीच। टिप्पण : - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख मंडल, संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप मंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे : (क) पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता- अध्यक्ष; (ख) पुस्तकालय विषय की देखरेख करने वाले अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय -सदस्य; (ग) लेखा-सह-प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, सदस्य सचिव; और (घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित एक अधिकारी - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एल-23/3/2021-पुस्तकालय]

सुनीता, अवर सचिव

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 27th July, 2022

G.S.R. 101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Reference Library, Kolkata, Ministry of Culture (Group C and D Posts) Recruitment Rules, 2004, the Ministry of Culture, Central Reference Library, Kolkata, Lower Division Clerk (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2015 and the Ministry of Culture, Central Reference Library, Kolkata, Multi Tasking Staff (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015 in so far as they relates to the posts of Upper Division Clerk, Stenographer, Lower Division Clerk and Multi Tasking Staff, except as respects things done or omitted to be done

before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Central Reference Library, Kolkata, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (i) These rules may be called the Ministry of Culture, Central Reference Library, Kolkata, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2022.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** – The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**—No person, –
a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.
6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection post on Non-Selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Upper Division Clerk.	4*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100/).	'Non-Selection' if promotion is one of the methods of recruitment. 'Not applicable' if promotion is not one of the methods of recruitment.

Age-limit for direct recruitment.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government Servants or Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by Staff Selection Commission (where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of applications).	Degree of a recognised University or equivalent.	Age : No E.Q : Yes

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruitment. Nil for promotees.	By Promotion failing which by deputation (including short term contract), failing both by Direct Recruitment.	Promotion : From Lower Division Clerk with eight years regular service in the Level-2 (Rs.19900-63200) in the grade, possessing essential educational qualification prescribed as in Column (7). Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): (a) Officers from Central or State Government or Semi-Government or Statutory or Autonomous Bodies, including Universities, Research or comparable Institutions holding:- - analogous post on regular basis; or - With eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk in Level – 2 (Rs. 19900-63200) or equivalent. b) Possessing essential educational qualification prescribed as in Column (7). Note1: The departmental offices in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed seven years.

		Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of application.
--	--	---

If Departmental Promotion/Selection Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (a) Librarian, Central Reference Library, Kolkata — Chairman ; (b) Under Secretary, Ministry of Culture dealing with the subject Library — Member ; (c) Accounts-cum-Administrative Officer, Central Reference Library, Kolkata — Member Secretary ; and (d) One Officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community — Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Stenographer Grade- II.	1* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Level 4 (Rs. 25500-81100/-).	Not applicable

(6)	(7)	(8)
Between 18 - 27 years (Relaxable for Government Servants or Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12 th Class pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Skill Test Norms Dictation: 10 minutes @ 80 words per minutes. Transcription: 65 minutes (Eng.) 75 minutes (Hindi) (On Manual Typewriter) Or 50 minutes (Eng.), 65 minutes (Hindi) (On Computer)	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Two Years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts or regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column (7).	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) consisting of:- (a) Librarian, Central Reference Library, Kolkata - Chairman ; (b) Under Secretary, Ministry of Culture dealing with the subject Library - Member ; (c) Accounts-cum-Administrative Officer, Central Reference Library, Kolkata - Member Secretary ; and (d) One Officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member.	Not Applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Lower Division Clerk (including Typist).	13*+1**=14 (2022) *Subject to variation dependent on workload. ** One post of LDC (Hindi).	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200/-).	Non -selection.

(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government servants or Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications)	(i) 12 th Class or equivalent qualification from a recognised Board or University (ii) A typing speed of 30 words per minutes in English or 25 words per minutes in Hindi on manual typewriter; or A typing speed of 35 words per minutes in English or 30 words per minutes in Hindi on computer. (35 words per minutes and 30 words per minutes correspond to 10500 Key Depression Per Hour or 9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word). For Lower Division Clerk (Hindi) :- (i) 12 th class examination passed with Hindi as a subject; and (ii) 25 words per minutes in Hindi on manual typewriter; or 30 words per minutes in Hindi on computer (9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word).	Age : No E.Q : Yes, to the extent indicated in Column (10).

(9)	(10)	(11)
Two Years.	(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the Level -1 of Rs.18000-56900/- and who possess 12 th Class passed or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum limit for eligibility for examination is forty five years.	As stated in Column (10).

	(fifty years of age limit for the candidates belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe). Note:- If more of such employees that the number of vacancies available under Clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years regular service in the posts with the Level – 1 (Rs.18000 – 56900/-).	
--	--	--

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion or Confirmation) consisting of:- (a) Librarian, Central Reference Library, Kolkata - Chairman ; (b) Under Secretary, Ministry of Culture dealing with the subject Library - Member ; (c) Accounts-cum-Administrative Officer, Central Reference Library, Kolkata - Member Secretary ; and (d) One Officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member.	Not Applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Multi-Tasking Staff.	13*(2022) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-1 (Rs. 18000 - 56900/-).	Not applicable

(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years of age. Note. - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territories of Ladakh Division, Lahul and Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.).	Matriculation or equivalent from the recognized board.	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group C' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) consisting of :- a) Librarian, Central Reference Library, Kolkata - Chairman; b) Under Secretary, Ministry of Culture dealing with the subject Library - Member; c) Accounts-cum-Administrative Officer, Central Reference Library, Kolkata - Member secretary; and d) One Officer belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe community - Member.	Not applicable.

[F. No. L-23/3/2021-Lib]

SUNITA, Under Secy.